[2021] 9 एस. सी. आर. 551

भारत चौधरी

बानाम

भारत का संघ

(अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (सीआरएल) 2021 का सं. 5703)

13 दिसंबर, 2021

[एन. वी. रमना, सीजेआई, सूर्या कांत और हिमा कोहली, जे. जे.]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985: एसएस।

8 (ग), 22 (ग), 25,28,29,67-मनोरोगी पदार्थों की जब्ती-अभियोजन मामला कि निदेशालय द्वारा बड़ी संख्या में गोलियाँ जब्त की गईं माना जा रहा है कि विभिन्न स्थानों से राजस्व खुफिया

साइकोट्रोपिक पदार्थ-ए-1 से ए-3 को साइकोट्रोपिक के कथित निर्यात के लिए एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।

पदार्थ-एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ए-1 और ए-3 के बयानों के आधार पर ए-4 की गिरफ्तारी-एन. डी. पी. एस. अदालत द्वारा ए-4 को जमानत देना-हालांकि, उच्च न्यायालय ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ए-4 की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया।

ए-4 के पक्ष में-उच्च न्यायालय ने अपील पर ए-1 की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया: आयोजित किया गया: नमूनों के मात्रात्मक विश्लेषण पर स्पष्टता के अभाव में, अभियोजन पक्ष प्रारंभिक चरण में यह नहीं कह सकता है कि अभियुक्तों के पास मादक पदार्थ पाए गए थे

पदार्थ-डी. आर. आई. द्वारा जब्त की गई बड़ी संख्या में गोलियों में पुरुष शक्ति बढ़ाने के लिए जड़ी-बूटियाँ/दवाएँ होती हैं, और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित नहीं करती हैं-ए-4 के कार्यालय और निवास की तलाशी के दौरान कोई गोली जब्त नहीं की गई-उपकरणों से वॉट्सऐप संदेश ए 4 और एएल से ए 3 के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं जब्त किया गया-इसके अलावा, वैज्ञानिक रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है-कोई सचेत नहीं

ए-4-ऑर्डर के खिलाफ साबित साइकोट्रोपिक पदार्थों का कब्जा

ए-1 से ए-3 यू/एस के बयानों पर केवल निर्भरता पर ए-4 की जमानत को रद्द करना। 67 इसे कायम नहीं रखा जा सकता-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश ए-4 को रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है-साथ ही ए-1 को जमानत पर रिहा करना भी उचित है।

विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़ना: 1.1 . ए-4 के पक्ष में दी गई जमानत को रद्द करने का विवादित आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ नहीं है कि

अभियोजन पक्ष द्वारा जिन अभिलेखों पर भरोसा करने की मांग की गई है, वे बताते हैं कि

6 दिसंबर, 2019 की एक परीक्षण रिपोर्ट, 17 दिसंबर, 2019 की दो परीक्षण रिपोर्ट और अभियोजन एजेंसी द्वारा तैयार की गई और परीक्षण के लिए भेजी गई नमूना गोलियों/गोलियों के संबंध में 21 दिसंबर, 2019 की एक परीक्षण रिपोर्ट सहायक वाणिज्यिक परीक्षक द्वारा संलग्न एक नोट के साथ समाप्त होती है जिसमें कहा गया है कि "सुविधाओं के अभाव में नमूनों का मात्रात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सका"। नमूनों के मात्रात्मक विश्लेषण पर अब तक किसी भी स्पष्टता के अभाव में, अभियोजन पक्ष को इस प्रारंभिक चरण में यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के पास एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत मनोवैज्ञानिक पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा पाई गई है। [पैरा 10] [558-बी-डी]

1.2 . डी. आर. आई. द्वारा जब्त की गई बड़ी संख्या में गोलियों में निश्चित रूप से जड़ी-बूटियाँ/दवाएँ हैं जो बढ़ाने के लिए हैं।

पुरुष शक्ति और वे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यालय या ए-4 के आवास पर की गई तलाशी के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी गोली जब्त नहीं की गई थी। मोबाइल फोन से डाउनलोड किए गए वाट्सऐप संदेशों के प्रिंटआउट और ए-4 के कार्यालय परिसर से जब्त किए गए उपकरणों पर निर्भरता को इस स्तर पर उसके और ए-1 से ए-3 के बीच एक लाइव लिंक स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री के रूप में नहीं माना जा सकता है, जबकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, उक्त उपकरणों के संबंध में वैज्ञानिक रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।

[पैरा 10] [558-डी-एफ]

2. ए-4 के सचेत कब्जे में पाए जाने वाले किसी भी मनोदैहिक पदार्थ के अभाव में, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत ए-1 से ए-3 द्वारा दिए गए बयान पर केवल निर्भरता विवादित क्रम को बनाए रखने के लिए बहुत कमजोर आधार है। ए-4 के विवादित आदेश को रद्द

कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है और विशेष न्यायाधीश, ईसी और एनडीपीएस मामलों द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया जाता है। जहां तक ए-1 की बात है, चूंकि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और अब तक उक्त आरोपी दो साल से अधिक समय से हिरासत में है,

निचली अदालत की संतुष्टि के अधीन रहते हुए उसे जमानत पर रिहा करना उचित समझा जाता है। [पैरा 11] [558-एफ-एच; 559-ए]

संजीव चंद्र अग्रवाल बनाम भारतीय संघ आपराधिक

2021 की अपील संख्या 1273 का निर्णय 25 अक्टूबर, 2021 को लिया गया; तोफान सिंह बनाम। मद्रास राज्य (2021) 4 एससीसी 1

- संदर्भित किया गया।

भारत चौधरी बनाम. भारत का संघ

केस लॉ रेफर्नस

(2021) 4 एससीसी 1

संदर्भित किया गया।

पैरा 5

असाधारण अपील न्यायनिर्णय: याचिका

अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए (सी. आर. एल.) 2021 का No.5703।

उच्च न्यायालय के 15.07.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल. में मद्रास में न्यायपालिका। 2020 का ओ. पी. No.18450

के साथ

अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (सीआरएल) 2021 का No.8919।

गोपाल शंकरनारायणन, आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आर. सी. पॉल

कनगराज, करुप्पैया मेयप्पन, रघुनाथ सेतुपति बी., सुश्री कनिका कलैयारसन, श्रुतंजय भारद्वाज, अभिषेक कलैयारसन, सुश्री परीक्षा, निर्णीमेश दुबे, सुश्री तृप्ति टंडन, सतबीर सिंह पिल्लानिया, विवेकानंद राणा, संदीप कालिया, नंद राम, सोमवीर देसवाल, सुश्री रीना राव, डॉ. सुशील बलवाड़ा, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी, रुपेश कुमार, सुश्री अर्चना पाठक

डेव, रजत नायर, सुश्री दीपबली दत्ता, मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

हिमा कोहली जे।

1. इस सामान्य आदेश से हम दो याचिकाओं का निपटारा करने का प्रस्ताव करते हैं

मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 15 जुलाई, 2021 के सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए। एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) नं. 5703/2021 भरत चौधरी [ए-4] द्वारा दायर किया गया है जो जमानत आदेश के उलट जाने से व्यथित है।

दिनांक 02 नवंबर, 2020 को विशेष न्यायाधीश, ईसी और एनडीपीएस मामलों, चेन्नई द्वारा उनके पक्ष में मंजूरी दी गई, जबकि राजा चंद्रशेखरन [ए-1] ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत उनके द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दी है।

2. अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामला यह है कि विशिष्ट जानकारी पर

राजस्व खुफिया निदेशालय, चेन्नई क्षेत्रीय इकाई 1 द्वारा प्राप्त, डी. आर. आई. के अधिकारियों ने विभिन्न प्रकार की लगभग 1,37,665 गोलियाँ जब्त की थीं।

सामूहिक रूप से वजन 90 किलोग्राम। ( ) निम्नलिखित चार स्थानों से साइकोट्रोपिक पदार्थों के रूप में वर्णित हैं, जो सभी चेन्नई में स्थित हैं:

1 संक्षेप में 'डीआरआई' [2021] 9 एस. सी. आर.

मेसर्स का कार्यालय। एविएशन स्टार एक्सप्रेस, एक्काट्टुथंगल, ए

((i)

मताधिकार प्राप्तकर्ता
मेसर्स डी. एच. एल. एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड;

((ख)

2 गंतव्य, मेसर्स एस. टी. कूरियर का एक फ्रेंचाइजी;

((ग) राजा चंद्रशेखरन का निवास [ए-1]; और

( ) 0 ((iv)

मेसर्स का कार्यालय परिसर। डी. एच. एल. एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

3. यह मानते हुए कि उपरोक्त परिसर से जब्त की गई गोलियाँ उपबंधों के अंतर्गत आने वाले मनोदैहिक पदार्थों से बनी हैं

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 22 (सी), 25,28 और 29 के तहत दंडनीय और उन्हें 18 अक्टूबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया। ए-1 और ए-3 द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर कि उन्होंने नागपुर और राजस्थान में आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलीभगत की थी और हर्बल गोलियों की आड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्राहकों को कूरियर सेवा के माध्यम से निर्यात करने और भेजने के लिए साइकोट्रोफिक पदार्थों से बनी गोलियों की खरीद की थी, भारत चौधरी [ए 4] से प्राप्त आदेश पर, डीआरआई, जयपुर इकाई के अधिकारियों ने 16 मार्च, 2020 को जयपुर में उनके आवास पर तलाशी ली और कुछ आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। इसके बाद, उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 (सी), 24 और 29 के तहत दंडनीय धारा 8 (सी) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 17 मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। विद्वान प्रमुख द्वारा पारगमन जमानत दिए जाने पर महानगर दंडाधिकारी, जयपुर ए-4 को एनडीपीएस के समक्ष पेश किया गया।

19 मार्च, 2020 को चेन्नई की अदालत में पेश किया गया और उसी दिन रिमांड पर लिया गया।

4. 2 नवंबर, 2020 के आदेश के माध्यम से, विद्वान विशेष न्यायाधीश,

ईसी एंड एनडीपीएस केस, चेन्नई ने भरत चौधरी [ए-4] को जमानत दे दी। ए-4 को जमानत देने के लिए उक्त न्यायालय के साथ जिन कारणों पर विचार किया गया, वे थे:

वह किसी भी मनोरोगी के कब्जे में नहीं पाया गया था

((i)

तलाशी के दौरान उसके आवास या कार्यालय से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ।

2 संक्षेप में 'एन. डी. पी. एस. अधिनियम' भारत चौधरी बनाम।

भारत संघ [हिमा कोहली जे.]

((ख)

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट/उपकरण जो जब्त किए गए थे

ए-4 के कार्यालय को वैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। जिसका अभी भी इंतजार था;

जबकि 1,37,665 गोलियाँ चार अलग-अलग लोगों से जब्त की गईं।

(iii)

15 अक्टूबर, 2019 से 18 अक्टूबर, 2019 के बीच डीआरआई के अधिकारी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत ए-1 द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पांच महीने बाद ए-4 को गिरफ्तार करने के लिए जयपुर गए थे।

((iv)

के निवासी ए-4 के खिलाफ कोई लाइव लिंक स्थापित नहीं किया गया था जयपुर ने अन्य अभियुक्तों ए-1 से ए-3 के साथ सांठगांठ की थी, जो सभी चेन्नई में रह रहे थे और उन्हें चेन्नई से गिरफ्तार किया गया था।

वहाँ।

जब्त की गई सामग्री के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट थी

(v)

प्रतीक्षा की गई और यह स्थापित नहीं किया गया कि क्या गोलियाँ जो अभियुक्तों के अनुसार यौन वृद्धि की गोलियाँ थीं, या तो एक मादक या मनोदैहिक पदार्थ के रूप में योग्य होंगी ताकि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के दायरे में आ सकें।

(vi) 21 नवंबर, 2019 को डी. आर. आई. द्वारा प्राप्त पहली परीक्षण रिपोर्ट से पता चला कि गोलियाँ वास्तव में यौन वृद्धि की दवाएँ थीं और एन. डी. पी. एस. अधिनियम और सी. एफ. एस. एल. को भेजी गई 26 गोलियों के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट के तहत शामिल नहीं थीं।

हैदराबाद का अभी भी इंतजार था।

5. तोफान सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले को ध्यान में रखते हुए। मद्रास राज्य 3 जहाँ के अनुसार

बहुमत निर्णय, धारा 67 के तहत दर्ज एक इकबालिया बयान

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक अपराध के मुकदमे में एन. डी. पी. एस. अधिनियम को अस्वीकार्य माना गया है, विशेष न्यायाधीश, ई. सी. और एन. डी. पी. एस. मामले, चेन्नई ने भरत चौधरी [ए-4] को जमानत दे दी। डी. आर. आई. द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आदेश को चुनौती देने पर, ए-4 के पक्ष में दिए गए जमानत आदेश को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश के खिलाफ की गई तीखी टिप्पणियों के साथ रद्द कर दिया गया है। ए 4 के मामले में दिए गए कारणों का हवाला देते हुए, अल द्वारा दायर जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया है।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष न्यायाधीश, ई. सी. और एन. डी. पी. एस. मामलों] को ए. को जमानत देने के लिए एक घुमावदार जांच करने के लिए दोषी ठहराया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. यह अभिनिर्धारित किया गया है कि तोफान सिंह के मामले में निर्णय, अभियोजन एजेंसी को अपराध में अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से सह-अभियुक्त का बयान दर्ज करने से नहीं रोकता है।

यह देखते हुए कि यह ए-4 के बयान के आधार पर नहीं था कि उसे गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया, बल्कि ए-1 से ए-3 द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, जिन्होंने उसे अपराध में शामिल व्यक्ति के रूप में फंसाया है और प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति की व्यवस्था की है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि ए-1, ए-3 और ए-4 के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किसी भी साक्षय का अभाव ए-4 को कोई राहत देने का आधार नहीं बन सका। जहां तक बात

विशेष न्यायाधीश, ई. सी. और एन. डी. पी. एस. मामलों के अवलोकन में कि अभियोजन एजेंसी द्वारा 22 नवंबर, 2019 को प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि कई गोलियां यौन वृद्धि की दवाएं थीं और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत नहीं आती थीं, उच्च न्यायालय ने कहा कि परीक्षण रिपोर्ट में ऐसा नहीं था।

इस तथ्य को पूरी तरह से नकारते हैं कि जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान मादक पदार्थ नहीं थे। कुल मात्रा पर बहुत जोर दिया गया था

प्रतिबंधित पदार्थ जब्त कर लिया गया और यह माना गया कि एक बार परीक्षण रिपोर्ट से पता चला कि कुछ गोलियों में मादक पदार्थ थे, यह ए-4 को जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त था। निचली अदालत के उस दृष्टिकोण की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि चूंकि अभियोजन एजेंसी द्वारा शिकायत के साथ परीक्षण रिपोर्ट दायर नहीं की गई थी, इसलिए ए-4 के पक्ष में लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक विशेष न्यायाधीश, ईसी और एनडीपीएस मामलों ने 2 नवंबर, 2020 को आदेश सुनाया था, तब तक परीक्षण रिपोर्ट में कहा गया था कि

उपलब्ध है और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

7. भरत चौधरी [ए-4] की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन ने विवादित आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश, ईसी और एनडीपीएस मामलों द्वारा ए-4 को दी गई जमानत को रद्द करने का कोई उचित कारण नहीं था। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी करके एक गंभीर त्रुटि की गई है कि ए-4 के कब्जे से एक भी गोली बरामद नहीं की गई थी; कि गोलियां ए-1 से ए-3 के परिसर से जब्त की गई थीं और परीक्षण के लिए भेजे गए कुछ नमूने बताते हैं कि जब्त की गई गोलियों में से बड़ी संख्या में यौन थीं।

वर्धित मादक पदार्थ और निषिद्ध पदार्थ नहीं; कि जब्त किए गए निषिद्ध पदार्थ को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश या नमूना नहीं किया गया था और ए 4 को केवल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत राजा चंद्रशेखरन [ए-1] द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति/बयानों के आधार पर मामले में घसीटा गया है, इस तथ्य के बावजूद कि तोफान सिंह (उपरोक्त) में इस अदालत के हाल के फैसले

में, बहुमत का विचार यह है कि एक इकबालिया बयान सबूत में स्वीकार्य नहीं है जिसका आपराधिक भारत चौधरी बनाम में पालन किया गया है।

भारत संघ [हिमा कोहली जे.]

2021 की अपील संख्या 1273 जिसका शीर्षक है "संजीव चंद्र अग्रवाल बनाम संजीव चंद्र अग्रवाल।

भारत संघ ", 25 अक्टूबर, 2021 को तय किया गया।

8. राजा चंद्रशेखरन [ए-1] की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आनंद ग्रोवर ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने

अब तक साइकोट्रोपिक पदार्थ साबित हो चुका था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि जब्त की गई आयुर्वेदिक/हर्बल दवाएं लिंग वृद्धि के लिए थीं जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम के दायरे में नहीं आती हैं और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए के तहत भारत सरकार द्वारा जारी स्थायी आदेश (आई. डी. 1) पूरी तरह से गलत है। इसकी अवहेलना की गई क्योंकि नमूने मौके पर नहीं लिए गए थे और/या ए-1 के परिसर से बरामद नहीं किए गए थे, और न ही आरोपी और पंचों की उपस्थिति में डी. आर. आई. के कार्यालय में नमूने लिए गए थे। यह प्रचार किया गया कि अभियोजन एजेंसी की ओर से विफलता के कारण की गई जब्ती की पवित्रता और अखंडता अत्यधिक संदिग्ध है

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 और 52 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में प्राप्त और दर्ज की गई जानकारी, मेसर्स एविएशन स्टार एक्सप्रेस के परिसर से साइकोट्रोपिक पदार्थों के कथित निर्यात के संबंध में थी, जो मेसर्स की फ्रेंचाइजी है। डी. एच. एल. एक्सप्रेस लिमिटेड और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 के तहत निर्दिष्ट जानकारी में ए-1 या उसके परिसर का कोई उल्लेख नहीं है।

9. इसके विपरीत, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ने अतिरिक्त सॉलिसिटर के रूप में सीखा

डी. आर. आई. की ओर से पेश हुए जनरल ने विवादित फैसले का समर्थन किया है और जोरदार तर्क दिया है कि ए-4 पूरी आपराधिक साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड है और वह ए-1 की मिलीभगत से ए-1 से ए-3 को यौन वृद्धि की गोलियों की आड़ में अवैध रूप से विदेशों में निर्यात किए जाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति कर रहा है। उन्होंने परीक्षण के लिए भेजे गए 71 नमूनों और 18 दिसंबर, 2019 की सी. आर. सी. एल., चेन्नई की परीक्षण रिपोर्ट का संकेत दिया, जिसमें पुरुष शक्ति वृद्धि दवाओं के साथ-साथ मादक पदार्थों की उपस्थिति की

पुष्टि की गई है और दृढ़ता से तर्क दिया कि ए-4 और ए-1 से ए-3 के बीच संबंध न केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज ए-1 से ए-3 के बयानों के माध्यम से स्थापित किया गया है, बल्कि मोबाइल फोन से डाउनलोड किए गए डेटा के प्रिंटआउट के रूप में दस्तावेजों से भी स्थापित किया गया है।

ए-4 का लैपटॉप, विशेष रूप से, वॉट्सऐप चैट और बैंक लेनदेन ए-1 और ए-4 के बीच। प्रस्तुत करते हुए कि चूंकि [2021] 9 एस. सी. आर. के लिए वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के तहत निर्धारित दोहरे परीक्षण हैं।

जमानत की मंजूरी संतुष्ट नहीं हुई है, विवादित आदेश हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

10. पक्षों की ओर से विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों की सावधानीपूर्वक जांच करने और रिकॉर्ड पर बारीकी से नज़र डालने के बाद, हम

भरत चौधरी [ए-4] के पक्ष में दी गई जमानत को रद्द करने का विवादित आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ नहीं है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन अभिलेखों पर भरोसा करने की मांग की गई है, वे बताते हैं कि 6 दिसंबर, 2019 की एक परीक्षण रिपोर्ट, 17 दिसंबर, 2019 की दो परीक्षण रिपोर्ट और अभियोजन एजेंसी द्वारा तैयार की गई और परीक्षण के लिए भेजी गई नमूना गोलियों/गोलियों के संबंध में 21 दिसंबर, 2019 की एक परीक्षण रिपोर्ट, सहायक वाणिज्यिक परीक्षक द्वारा संलग्न एक नोट के साथ समाप्त होती है जिसमें कहा गया है कि "सुविधाओं की कमी के कारण नमूनों का मात्रात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सका"। नमूनों के मात्रात्मक विश्लेषण पर अब तक किसी भी स्पष्टता के अभाव में, अभियोजन पक्ष को इस प्रारंभिक चरण में यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के पास एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत विचार किए गए मनोदैहिक उपगुणों की वाणिज्यिक मात्रा पाई गई है। इसके अलावा, डी. आर. आई. द्वारा जब्त की गई बड़ी संख्या में गोलियों में पुरुष शक्ति बढ़ाने के लिए जड़ी-बूटियाँ/दवाएँ होती हैं और वे होती हैं।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 मार्च, 2020 को जयपुर में कार्यालय या ए-4 के आवास पर की गई तलाशी के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी गोली जब्त नहीं की गई थी। वॉट्सऐप संदेशों के प्रिंटआउट पर निर्भरता ए-4 के कार्यालय परिसर से डाउनलोड किए गए मोबाइल फोन और जब्त किए गए उपकरणों को इस स्तर पर उसके और ए-1 से ए-3 के बीच एक लाइव लिंक स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री के रूप में नहीं माना जा सकता है, जबकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, उक्त उपकरणों के संबंध में वैज्ञानिक रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।

11. ए-4 के सचेत कब्जे में पाए जाने वाले किसी भी मनोदैहिक पदार्थ के अभाव में, हमारी राय है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत ए-1 से ए-3 द्वारा दिए गए बयान पर

केवल निर्भरता 15 जुलाई, 2021 के विवादित आदेश को बनाए रखने के लिए बहुत कमजोर आधार है। यह तब और भी अधिक होता है जब इस तरह की निर्भरता निर्णय के विपरीत चलती है।

तोफान सिंह (ऊपर)। तदनुसार, ए-4 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है और विद्वान विशेष न्यायाधीश, ईसी और एनडीपीएस मामलों द्वारा पारित 2 नवंबर, 2020 के आदेश को बहाल कर दिया जाता है। जहाँ तक राजा चंद्रशेखरन [ए-1] की बात है, क्योंकि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और अब तक उक्त अभियुक्त भारत चौधरी बनाम के लिए हिरासत में है।

दो साल के लिए, उसे जमानत पर रिहा करना उचित समझा जाता है, जो निचली अदालत की संतुष्टि पर निर्भर करता है।

12. मामलों से अलग होने से पहले, यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ ऊपर की गई प्राथमिक टिप्पणियाँ राहत पर विचार करने तक सीमित हैं।

याचिकाकर्ताओं द्वारा नियमित जमानत के लिए अनुरोध किया गया और पुनः व्यक्त की गई किसी भी बात को मामले के गुण-दोष पर अवलोकन के रूप में नहीं माना जाएगा। , CC No.0000037/2020, परीक्षण लंबित है। विशेष अवकाश के लिए याचिकाएं

अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

विशेष अवकाश

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

धी जैन